न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 27/2020 अपील प्रकरण में प्रार्थना पत्र (आदेश 7 नियम 11)

1. भैरू सिंह पुत्र फौज सिंह राजपूत निवासी देवली तहसील कोटडी

बनाम

1. देवी सिंह पिता बड़द सिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटडी मृतक के बजाय का.मु. –
   1/1 नन्द सिंह पिता देवी सिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटडी
   1/2 हेमसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत
   1/3 राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत
   1/4 सम्पत सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत निवासीयान पीथास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी
3. जिंदल शॉ लिमि. तिरंगा पहाडी क पास, पुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

– विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थित –

1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – प्रार्थी जिन्दल सॉ लि., पुर, भीलवाडा की ओर से
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – विपक्षी /अपीलार्थी भैरू सिंह राजपूत की ओर से

आदेश

दिनांक 09.09.2021

प्रकरण में प्रार्थी जिन्दल सॉ लि. तिरंगा पहाडी के पास पुर, भीलवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का दिनांक 26.03.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी में प्रकरण संख्या 77/2019 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा.का.अ. संस्थित किया था जिसमें अपीलार्थी भैरूसिंह के पक्ष में दिनांक 27.02.2020 को एसडीओ, कोटड़ी ने एक पक्षीय डिक्री जारी क़ी है। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर आवेदक प्रत्यर्थी ने माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील संख्या 135/2020 जिन्दल सॉ बनाम भैरू सिंह वगैराह दिनांक 31.07.2020 को संस्थित की और उक्त अपील में वर्तमान अपीलार्थी पक्षकार मुकदमा है। अपीलार्थी उक्त अपील के न्यायाधीन होने के तथ्य से भलीभांति अवगत है। यह तथ्य भी माननीय न्यायालय के विचारणीय है कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा खातेदार से भूमि बजरिये रजिस्टर्ड बिकावनामा दिनांक 03.07.2019 से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया और ग्राम पंचायत किशनगढ़ ने भूमि का खाता आवेदक प्रत्यर्थी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया और पंचायत के आदेश के विरूद्ध

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

आवेदक प्रत्यर्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के समक्ष अपील संख्या 11/2019 जिन्दल सॉ लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य संस्थित अधिकारी, कोटड़ी के यहां न्यायालय में वाद 77/2019 संस्थित किया और आवेदक प्रत्यर्थी को उक्त वाद में पक्षकार मुकदमा संयोजित नहीं किया। इस प्रकार उक्त दोनों ही प्रकरण में एक ही न्यायालय में कार्यवाही चल रही थी और उपखण्ड अधिकारी न्यायालय, कोटड़ी में पोशीदा तौर से शीघ्र कार्यवाही कराकर अपीलार्थी ने दिनांक 27.02.2020 को डिक्री करा लिया जिसके विरूद्ध आवेदक प्रत्यर्थी ने माननीय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत कर रखी है और उक्त अपील में ही पक्षकारान के अधिकारों का अन्तिम रूप से अवधारण होगा। अभिलेख से ही यह तथ्य सुस्थापित है कि अपीलार्थी द्वारा विधि की व्यवस्था का दुरूपयोग कर वर्तमान अपील प्रस्तुत कर निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील Frivolous होकर वाद बाहुल्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को न्यायहित में माननीय न्यायालय में अन्तर्निहित शक्तियों को उपयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इस प्रकरण पर निरस्त किये जाने से भिन्न कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसी प्रकरण पर खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब पेश नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी जिंदल सॉ लिमि. पुर के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रकरण से संबंधित तथ्यों के संबंध में अपीलार्थी ने प्रकरण में आर. ए.ए. में अपील लगा रखी हैं। अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी में प्रकरण संख्या 77/2019 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा.का.अ. संस्थित किया था जिसमें अपीलार्थी भैरूसिंह के पक्ष में दिनांक 27.02.2020 को एसडीओ, कोटड़ी ने एक पक्षीय डिक्री जारी की है। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर आवेदक प्रत्यर्थी ने माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील संख्या 135/2020 जिन्दल सॉ बनाम भैरू सिंह वगैराह दिनांक 31.07.2020 को संस्थित की और उक्त अपील में वर्तमान अपीलार्थी पक्षकार मुकदमा है। अपीलार्थी उक्त अपील के न्यायाधीन होने के तथ्य से भलीभांति अवगत है। अपीलार्थी द्वारा विधि की व्यवस्था का दुरूपयोग कर वर्तमान अपील प्रस्तुत कर निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील Frivolous होकर वाद बाहुल्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को न्यायहित में माननीय न्यायालय में अन्तर्निहित शक्तियों को उपयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इस प्रकम पर निरस्त किये जाने से भिन्न कोई विकल्प

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विद्यमान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसी प्रकरण पर खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रार्थी जिंदल सॉ लिमि. पुर, भीलवाडा के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आर आर डी 1988 पीपी 160, आर आर डी 1991 पीपी 257 + 435, आर आर डी 1992 पीपी 435, आर आर डी 1992 पीपी 139, आर आर डी 1990 पीपी 638 + 639, सिलिंग एण्ड एग्रीकल्चरल होल्डिंगस एक्ट 1973 (से. 23–11बी, से. 19, से. 21), (2010) 4–एस सी सी पीपी 728, 2018–19 (सप.)आर आर टी पीपी 581, (2014) 11–एस सी सी पीपी 619, सीपीसी सेक्शन 141–151, आर आर डी 1985 पीपी 170, नेट कोपी ऑफ जजमेण्ट ए आई आर 1994 सेक्शन 853, नेट कॉपी ऑफ जजमेण्ट ऑफ मान. सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नं. 9488–9489 निर्णय दिनांक 17.12.2019, (2016) 3 डीएनजे–राज. पीपी 146, आर आर डी 1997 पीपी 197+481, (2009) 1 डीएनजे (राज.)पीपी 410, 2018 (3) आर एल डब्ल्यू पीपी 2097 पेश किये हैं।

विपक्षी/अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र केवल मात्र वादपत्र में लगता हैं, वादपत्र के अलावा अन्य किसी भी प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नही हैं। जैसे कि सी पी सी 1908 पेज 109 मे स्पष्ट अंकित कर रखा है। वादपत्र का नामंजूर किया जाना एवं आदेश 7 नियम 11 क,ख, ग, घ, ड, च में कहीं भी अपील शब्द अंकित नहीं हैं। केवल वाद या दावा अंकित हैं। रेस्पोडेण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि नये सिलिंग एक्ट के तहत अपील पेश करने का अधिकार नहीं हैं। इस संबंध में निवेदन हैं कि जब पुराना एक्ट समाप्त कर उसके स्थान पर नया एक्ट प्रभाव में आता हैं, तो व्यथित पक्षकार अपील पेश करने के समय जो कानून (विधि) प्रचलन में हैं, उसी के तहत अपील पेश करेगा, नये कानून के तहत अपील पेश करने के संबंध में कई न्यायिक दृष्टान्त हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रथम दृष्टया विधि में पोषणीय नही होने से खारिज किया जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त सिविल प्रकिया संहिता 1908 पेज नं. 109, 2021 (1) आर आर टी 145, 2008(1) आर आर टी 597 पेज 597, 2020 डीएनजे (रेवे.) 33, 2020 डीएनजे (रेवे.) 34, 2016–17 (सप.) आर आर टी 175, आर आर टी 2016(2) पेज 971 पेश किये।

विपक्षी/ अपीलार्थी की बहस उपरान्त प्रार्थी जिन्दल सॉ लिमि. के अधिवक्ता ने रिवटल (खण्डन) में बताया कि विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान केवल मात्र दावे पर लागू होते हैं। जबकि ऐसा नही होकर धारा 141 सी पी सी मे प्रावधान हैं कि जो नियम दावा पर लागू होते हैं, वे ही नियम प्रकरण में अनुपूरक कार्यवाही पर भी लागू होते हैं। इसी प्रकार धारा 151 सी पी सी में भी प्रावधान हैं कि न्यायहित में न्यायालय में अन्तर्निहित शक्तियों को उपयोग किया जाकर वाद बाहुल्यता को रोका जा सकता हैं।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण में अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी में प्रकरण संख्या 77/2019 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा.का.अ. संस्थित किया था जिसमें अपीलार्थी भैरूसिंह के पक्ष में दिनांक 27.02.2020 को एसडीओ, कोटड़ी ने एक पक्षीय डिक्री जारी की है। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर आवेदक प्रत्यर्थी ने माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील संख्या 135/2020 जिन्दल सॉ बनाम भैरू सिंह वगैराह दिनांक 31.07.2020 को संस्थित की और उक्त अपील में वर्तमान अपीलार्थी पक्षकार मुकदमा है एवं प्रकरण न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में जैरकार हैं। इस प्रकार अपीलार्थी ने न्यायालय में वाद बाहुल्यता को बढावा दिया हैं, जिसमें धारा 151 सी पी सी की स्पष्ट उल्लघंना प्रतीत होती हैं। वैसे भी नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी संख्या 03/प्रार्थी जिन्दल सॉ लि. तिरंगा पहाडी के पास पुर, भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा